तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08-01-26	पत्रावली पेश हुई। दोनो पक्षो के अधिवक्ता उपस्थित। दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील की बहस है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1199 व 1200 रकबा 0.4219 व 2.5408 हैक्टेयर भूमि ग्राम थापन तहसील सिवाना में अवस्थित है। प्रार्थी विवादित भूमि का रेकडेर्ड खातेदार है। विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थी की खातेदारी भूमि से लगते हुए होने से विप्रार्थीगण माठ तोड़ कर जबरन प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को उतारू रहते है, प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहता है।लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि का नेखमबंदी किये जाने का आदेश फरमाया जावे। विप्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थी के खातेदारी भूमि के साथ–साथ विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1198 का भी नेखमबंदी किये जाने का निवेदन किया गया। हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी, और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का विवेचन किया। प्रार्थी विवादित भूमि का रेकर्डेड खातेदार है तथा विप्रार्थीगण की भूमि पडौस में अवस्थित रहने से प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य हमेश तनाजा रहता है, प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहता है। जहां तक विप्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 1198 की भी नेखमबंदी किये जाने का अनुतोष प्रश्न है, तो विप्रार्थीगण का उक्त अनुतोष अस्वीकार किया जाता है, विप्रार्थीगण चाहे तो अपने अनुतोष के सम्बन्ध में स्वतंत्र रूप से प्रार्थना पत्र सक्षम न्यायालय में पेश कर सकते है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम थापन तहसील सिवाना की खसरा संख्या 1199 व 1200 रकबा 0.4219 व 2.5408 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ बाद पैमाईस पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को 2000/– रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे।तहरीर [illegible] हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.03.28 13:10:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बालोतरा)

क्रमांकः वाचक / 2026 /2001 | दिनांक : 08·01·2026

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
पुखाराम पुत्र रावताराम		टीकमाराम पुत्र जोधाराम वगैरा

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी</u>

राजस्व आवेदन सं.279 / 2025 | दिनांक :– 08.01.2026

–:: आदेश ::–

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम थापन तहसील सिवाना की खसरा संख्या 1199 व 1200 रकबा 0.4219 व 2.5406 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस रूपये 2000/–प्रार्थी मौके पर अदा करे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हे सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बालोतरा)

क्रमांकः वाचक /2026/2002- 2005 | दिनांक : 08·01·2026

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार सिवाना
2. थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना
3. हल्का पटवारी थापन तहसीलदार सिवाना द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी पुखाराम पुत्र रावताराम जाति मेघवाल निवासी थापन तहसील सिवाना जिला बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.03.28 13:10:07 IST
Reason: SelfAttested